

तारीख हुकम

27-06-18

ड्राफ्ट की ओर से श्री सतपाल बिहारी अधिकारी ने ड्राफ्ट पत्र प्रस्तुत किया। ड्राफ्ट पत्र फर्ज रजिस्ट्रार हो/संबंधित पत्रकारों को जरूर नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18-07-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

28-06-18

वकील ड्राफ्ट की इस दुआ पर पत्रावली पेशी में ली गयी। वकील ड्राफ्ट प्रकलन चलाना नहीं चाहते हैं। वकील ड्राफ्ट ने नोट-प्रेस किया वकील ड्राफ्ट के द्वारा नोट प्रेस करने पर ड्राफ्ट ने ड्राफ्ट पत्र वर्तमान स्ट्रेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल में शुभर होकर फाइल फलत हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

not done

28/